राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ.।

आरोपी सहित श्री नीरज बाघमारे अधिवक्ता।

इस आदेश द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—321 द.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है।

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र में यह निवेदन किया गया है कि मध्य प्रदेश शासन के आदेश कमांक—म.प्र. शासन गृह (सी—अनुभाग) विभाग मंत्रालय भोपाल के एफ—35—279 /2014/ दो/सी—2 भोपाल, दिनांक—28.04.2014 के अनुसार प्रकरण के भार साधक जिला एवं अभियोजन अधिकारी के रूप में प्रकरण वापस लिये जाने की अनुमति चाही गई है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

आरोपी के विरुद्ध मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—130(1)/177, 130(3)/177 का आरोप विरचित किया गया है तथा प्रकरण में साक्ष्य समाप्त हो चुकी है। ए.डी.पी.ओ. की ओर से आवेदन के समर्थन में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेट बालाघाट के ज्ञापन दिनांक—02.08. 2014 की फोटोप्रति स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित करके पेश की गई है, जिसमें संदर्भित आदेश के पालन में प्रकरण के प्रत्याहरण हेतु कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है। उक्त अपराध के अंतर्गत अभियोजन का मामला वापस किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रकट नहीं होती है। अतएव आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—321 द.प्र.सं. स्वीकार किया जाकर अभियोजन को आरोपी के विरुद्ध मामले के प्रत्याहरण की अनुमति प्रदान की जाती है। फलस्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 एवं मोटर यान अधिनियम की धारा 130(1)/177, 130(3)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमोंक—एम.पी.02/3458 मुन्नालाल नगपुरे वल्द सूरजलाल नगपुरे, शासकीय जिला अस्पताल बालाघाट को हिफाजत नामा में प्रदान किया गया है, जो उसके पक्ष में निरस्त समझा जावे।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर, समयावधि के भीतर अभिलेखागार दाखिल किया जावे।

(सिराज अली)
न्यायिक मजि०प्रथम श्रेणी, बेहर